THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) Doordarshan has not registered any new proposal for serial under the sponsorship scheme after May 7, 1986. Only those cases which were under consideration prior to this date are being processed and accepted. However, Doordarshan has been commissioning outside producers to produce programme in which case the funds are provided by Doordarshan unlike under the sponsorship scheme where the advertiser/sponsor bears the cost of production;

(c) Does not arise.

Technical Assistance in the Field of Food Processing Industries

469. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have signed a number of agreements with foreign countries to seek technical assistance in the field of food processing industries;

(b) if so, what are the details of agreements signed so far and their terms and conditions; and

(c) what is the amount of foreign exchange to be incurred in seeking such an assistance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) While possibilities of collaboration in various fields including food processing are generally explored during the meetings of the visiting delegations from different countries. So far no agreement with any foreign country to seek technical assistance in the field of food processing industries has been finalised or signed by the Ministry of Food Processing Industries.

15-सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

470. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या कल्याण मंत्री 18 नवम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 972 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिनके द्वारा बनाई गई चयन समितियों में अल्प संख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है और चयन समिति में शामिल किए गये अल्प समुदायों के व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं और शेष राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जो त्रैमासिक बैठकें आयोजित करते हैं और उन बैठकों की तारीखें क्या-क्या हैं और यदि कोई बैठक नहीं आयोजित की गयी, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भविष्य में सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० रामेन्द्र कुमारी चौधरी) : (क) असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य समूह "ग" और "घ" पदों की भर्ती के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को अपनी चयन समितियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए सहमत हो गए हैं । कुछ अन्य राज्य सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं । विभिन्न समितियों में शामिल किए गए अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना न तो उचित है और न ही सम्भव है क्योंकि प्रत्येक राज्य में विभिन्न ग्रेडों/विषयों के लिए अनेक समितियां होती हैं और प्रत्येक चयन समिति की संरचना उन पदों के स्तर और स्वरूप पर निर्भर करती है जिन के लिए चयन किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अधिकांश राज्य, राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं ।